Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. 33/Press clipping/1/2017/Raipur/RU-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्केट ,नई दिल्ली -110003
6th floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक /Dated: 18.05.2017

To,

1. Shri Vivek Dhand,
   Chief Secretary,
   CM Secretariat,
   D.K.S. Bhawan, mantralya,
   Raipur, Chhattisgarh
2. Shri A N. Upadhyaya,
   Director General of Police,
   Police Headquarters,
   City-Raipur,
3. Mrs. Alarmelmangai D,
   Collector & DM,
   District- Raigarh,
   (Chhattisgarh),
4. Mr. B.N. Meena,
   Superintendent of Police,
   District-Raigarh,
   (Chhattisgarh),
5. Mr. B. J. Malya,
   Divisional Railway
   manager, SECR,
   Bilaspur, (Chhattisgarh),

Sub: Press report dated 18.03.2017 in Patrika News Network captioned "300 acr land scam and sudden death of petitioner" regarding.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Proceedings of the Sitting dated 08.05.2017 taken by Hon'ble Chairperson, NCST, for necessary action and to send the action taken report to the Commission at an early date.

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 33 / Press Clipping/1/2017/Raipur/RU-III

"300 एकड़ कुनकुनी जमीन घोटाले के याचिकाकर्ता श्री जयलाल राठिया की अचानक मौत" के संबंध में आयोग द्वारा जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ तथा मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के साथ दिनांक 08.05.2017 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथिः 08.05.2017

बैठक में उपस्थित–परिशिष्ट–क

दिनांक 18.03.2017 को दैनिक समाचार पत्र "पत्रिका" में उक्त विषय में समाचार प्रकाशित हुआ था। कई अन्य समाचार पत्रों में भी श्री जयलाल राठिया की मृत्यु को संदिग्ध बताते हुए ग्राम कुनकुनी में रेलवे साइडिंग तथा कोल वाशरी बनाने में व रायगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों में अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अवैध हस्तांरण तथा क्रय–विक्रय में धांधली से संबंधित समाचार प्रकाशित हुए। इस पृष्ठभूमि में आयोग द्वारा जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ एवं मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के साथ बैठक करने का निर्णय लिया गया।

क. अनुसूचित जनजातियों की भूमि के कथित रूप से अवैध हस्तांतरण से संबंधित मामले पर जिला कलेक्टर, रायगढ़ से चर्चा–

1. बैठक के प्रारंभ में आयोग के माननीय अध्यक्ष ने इस बात पर गंभीर चिंता जाहिर की कि रायगढ़ जिले में कुनकुनी, छोटे डूमरपाली एवं बड़े डूमरपाली सहित अनेक ग्रामों में अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अवैध हस्तांतरण की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अनुसूचित जनजातियों की भूमि गैर–अनुसूचित

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जनजातियों के व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाना बहुत गंभीर मामला है विशेषकर तब, जब जिले के कुछ भाग एवं राज्य का बड़ा हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजातियों की भूमि, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः गैर–अनुसूचित जनजातियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है तथा जिला कलेक्टर ही इस संबंध में अनुमति दे सकते हैं वह भी विशेष परिस्थिति में। उन्होंने जिला कलेक्टर, रायगढ़ से जिले के कुनकुनी व छोटे डुमरपाली बड़े डुमरपाली ग्राम में अनुसूचित जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण से संबंधित उन्हें प्राप्त विभिन्न शिकायतों एवं इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी चाही।

2. जिला कलेक्टर, रायगढ़ ने अवगत कराया कि ग्राम–कुनकुनी, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के आदिवासियों की लगभग 300 एकड़ भूमि सप्तऋषि इन्टरप्राईजेज कम्पनी द्वारा क्रय किये जाने का मामला प्रकाश में आने के फलस्वरूप मामले की जांच हेतु तत्काल कार्यालयीन आदेश क्र.5647/शिकायत/2015 दिनांक 04.07.2015 के द्वारा जांच समिति गठित कर 7 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु जांच समिति को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के परिपेक्ष्य में जांच समिति द्वारा ग्राम–कुनकुनी में जाकर ग्रामवासियों की उपस्थिति में संबंधित कृषकों से पूछताछ एवं संबंधित अभिलेखों की जांच कर बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन दिनांक 04.08.2015 को प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य रूप से ग्राम–कुनकुनी, तहसील–खरसिया में आदिवासियों की भूमि सुनियोजित ढंग से ग्राम–कुनकुनी के बाहर के व्यक्तियों के नाम से बिना जाति प्रमाण पत्र के भूमि का क्रय–विक्रय कराने में तत्कालीन सरपंच एवं सचिव, ग्राम पंचायत कुनकुनी, संबंधित हल्का पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं उप पंजीयक, खरसिया तथा दस्तावेज लेखक के द्वारा विक्रय पंजीयन, नामांन्तरण, भू–अर्जन पत्रक नियम विरूद्ध तैयार कर कूटरचना किया जाना पाये जाने के फलस्वरूप संलिप्त

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

व्यक्तियों एवं तत्कालीन कर्मचारियों, अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिवेदन किया गया। संलिप्त पटवारियों के विरूद्ध विभागीय जांच लगभग पूर्ण हो चुकी है तथा दोषी पाए गए पटवारियों को शीघ्र ही बर्खास्त किया जाएगा।

3. जिला कलेक्टर ने आयोग को अवगत कराया कि उक्त जांच प्रतिवेदन में बेनामी अंतरण/संव्यवहार पाये जाने के कारण ग्राम कुनकुनी के आदिवासी कृषकों के हित तथा उन्हें किसी प्रकार की भी क्षति न हो, इसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया में धारा 170 (1 एवं 2) के तहत 73 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिसके तहत मूल भू–स्वामी आदिवासियों को लौटाने की कार्यवाही की जा रही है, इसी प्रकार जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रभावित आदिवासी कृषकों के 73 प्रकरण तहसीलदार, खरसिया के न्यायालय में पुनर्विलोकन हेतु प्रकरण दर्ज किया जा कर मूल भू–स्वामी आदिवासियों को वापस करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसे तत्परतापूर्वक यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा। इस कार्य में दो माह लगने की संभावना है।

4. आयोग द्वारा मामले में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर जिला कलेक्टर, रायगढ़ ने अवगत कराया कि गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत 5 जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्र. 10575/वित्त–स्था./2015 दिनांक 07.08.2015 के अनुसार सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सम्प्रेषित करते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया, जिसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्य सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर, महानिरीक्षक पंजीयक एवं अधीक्षक मुद्रांक एवं

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित किया गया जिसके तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा उनके पत्र क्र. एफ 4–150/सात–1/2015 दिनांक 28 अगस्त, 2015 में प्रश्नाधीन मामले में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुशासनिक अधिकारी को संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया, जिसके तारतम्य में संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मामले में संलिप्त अधिकारी/कर्मचारी को निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित किया गया है जो प्रक्रियाधीन है।

5. आयोग द्वारा भूमि के बेनामी क्रय–विक्रय में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में पूछे जाने पर जिला कलेक्टर, रायगढ़ ने बताया कि उक्त जांच प्रतिवेदन में बेनामी अंतरण/संव्यवहार पाये के फलस्वरूप प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु Director General of Income tax (Investigation), Income tax building, 48, Arera Hills, Bhopal तथा Principal DIT (Investigation), Raipur, Central Revenue Building, New Civil Lines, Raipur को प्रेषित किया गया है।

6. उन्होंने आयोग को यह भी अवगत कराया कि अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया जिला–रायगढ़ के पत्र क्र. 303/पस्तु–1/2017 दिनांक 21.03.2017 के द्वारा स्पष्ट अभिमत/प्रतिवेदन प्राप्त होते ही ग्राम–कुनकुनी, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़) में आदिवासियों की भूमि का बेनामी क्रय–विक्रय के मामले में संलिप्त लोगों के विरूद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया को निर्देशित किया गया। इसी परिपेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया, जिला–रायगढ़ द्वारा उक्त बेनामी क्रय–विक्रय में संलिप्त लोगों के विरूद्ध

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नियमानुसार विवेचना कर एफआईआर दर्ज करते हुए कार्यालय को अवगत कराने हेतु थाना प्रभारी पुलिस थाना, खरसिया को लिखा गया है।

7. भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पत्र क्र. 4/124/2016–17–आर.यू. दिनांक 20.03.2017 के परिपेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया के पत्र क्र. 317/प्रस्तु–1/2017 दिनांक 24.03.2017 में प्रतिवेदन किया गया है, की छायाप्रति कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्र. 2755/शि.शा./2017 दिनांक 25.03.2017 के अनुसार सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर को प्रेषित करते हुए निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली को पृष्ठांकित की गई है। उपरोक्तानुसार जांच प्रतिवेदन में ग्राम–कुनकुनी के प्रभावित आदिवासी कृषकों के हित तथा उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति न हो इसे ध्यान में रखते हुए नियमों में प्रावधानित अनुसार मूल आदिवासी कृषकों को उनके कृषि भूमि वापस लौटाने की कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जा रही है जिसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा।

ख. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ से ग्राम कुनकुनी जमीन घोटाले के याचिकाकर्ता जयलाल राठिया की हुई आकस्मिक मृत्यु के संबंध में चर्चा–

आयोग ने जमीन घोटाले के याचिकाकर्ता श्री जयलाल राठिया की मृत्यु पर चिंता व्यक्त करते हुए मामले की जांच की आवश्यकता जतायी क्योंकि वे भू–माफिया–से लड़ रहे थे और उन्हें कथित रूप से धमकियां भी दी जा रही थीं। आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ से ग्राम कुनकुनी जमीन घोटाले के याचिकाकर्ता जयलाल राठिया की आकस्मिक मृत्यु के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने आयोग को निम्नानुसार जानकारी दी :–

1. दिनांक 17.03.2017 को लगभग 10.00 बजे थाना प्रभारी, खरसिया को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुनकुनी के जयलाल राठिया की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

हो गई है। इस सूचना पर SDOP खरसिया अशोक वाडेगांवकर, थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक के. एल. नंद के साथ ग्राम कुनकुनी पहुंचे और मृतक जयलाल राठिया के पुत्र आनंद कुमार राठिया एवं मृतक के छोटे भाई चंद्रिका राठिया से मिलकर पूछताछ कर कथन लिया गया जिन्होंने अपने कथन में जयलाल राठिया की मौत सामान्य परिस्थिति में होना बताते हुए किसी प्रकार का संदेह न होने के कारण मृतक जयलाल राठिया के शव को ग्रामीणों एवं रिश्तेदारों के साथ मिलकर सामाजिक रीति रिवाज से जला देना बताया।

2. बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ ने यह जानकारी भी दी कि दिनांक 18.03.2017 को मृतक जयलाल राठिया को छोटे भाई चंद्रिका राठिया ने थाना खरसिया में उपस्थित होकर मृतक जयलाल की पत्नी गुलापी एवं ललिता के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र पेश किया जिसमें जयलाल राठिया की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होना लेख किया गया था। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर थाना खरसिया में मर्ग क्र. 18/17/ धारा 174 जाफौ0 कायम कर कार्यवाही पंचायतनामा में लिया गया था। थाना प्रभारी, खरसिया द्वारा घटनास्थल ग्राम कुनकुनी पहुंच कर गवाहों के समक्ष मृतक के चिता की राख एवं हड्डियों के जले हुए अवशेष आदि जप्त किया गया। जप्तशुदा प्रदर्शों को कार्यालयीन पत्र क्र. पुअ/राय/एफएसएल/ 39–ए/2017 दिनांक 30. 03.2017 के माध्यम से फोरेंसिक जांच हेतु संचालक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को भेजा गया जिसे दिनांक 10.04.2017 को जमा कराया गया।

3. उन्होंने यह भी अवगत कराया कि जप्तशुदा प्रदर्शों की राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से परीक्षण रिपोर्ट पत्र क्र.–रा.न्या.वि.प्र. –/टी/478/2017 दिनांक 05.05.2017 के माध्यम से प्राप्त हुई जिसके अनुसार जप्तशुदा प्रर्दशों में रासायनिक विष का होना नहीं पाया गया।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. अब तक की जांच पर पाया गया कि मृतक जयलाल राठिया दिनांक 17.03.2017 की रात 08.00 बजे खाना खाकर सोया था। रात्रि करीबन 02.00 बजे तबीयत खराब होने पर बेहोशी हालत में जयलाल राठिया को उसके पुत्र आनंद कुमार राठिया द्वारा ईलाज हेतु वनांचल क्लीनिक खरसिया ले जाया गया जहां डॉक्टर ने जयलाल राठिया को मौत हो जाना बताते हुए शासकीय अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। जयलाल के शव को उसके परिजनों द्वारा शासकीय अस्पताल खरसिया ले जाया जाकर डॉ0 सौरभ अग्रवाल को बताया जिन्होंने पी.एम. कराने की सलाह दी। परन्तु मृतक के परिजनों ने जयलाल राठिया की सामान्य मौत कहते हुए शव को ग्राम कुनकुनी ले गये सामाजिक रीति–रिवाज से दाह संस्कार कर दिया गया।

2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ ने यह भी अवगत कराया कि स्व0 जयलाल राठिया के द्वारा कुनकुनी स्थित आदिवासी कृषकों को स्वामित्व की भूमि को सप्तऋषि इंफ्रास्ट्रेट के हिस्सेदारों के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से क्रय किये जाने को लेकर विभिन्न स्तरों पर शिकायत देने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका प्रस्तुत की गई है। याचिका के संबंध में दिनांक 02.02.2017 को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया के द्वारा माननीय न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है, जो विचाराधीन है।

3. आयोग द्वारा भूमि संबंधी मामलों में पुलिस कार्रवाई के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने अवगत कराया कि विभिन्न शिकायतों की जांच जिलाधीश रायगढ़ के द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच कराई गई थी। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया के द्वारा अपने पत्र क्र. 319/प्रस्तु–1/2017 खरसिया दिनांक 24.03.2017 के माध्यम से थाना प्रभारी, खरसिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था जिसमें दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का उल्लेख था। संबंधित दोषी कर्मचारियों का संबंध पुलिस विभाग से न होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया की ओर मूलतः वापस किये जाने के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया के द्वारा पत्र क्र. 716/प्रस्तु–1/2017 खरसिया दिनांक 10.04.2017 के माध्यम से एक ज्ञापन जिसमें सप्तऋषि इंफ्रास्ट्रेट कंपनी लिमिटेड एवं पार्टनर

Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संतोष कुमार गौतम, मनीष बनसैया तथा अन्य के द्वारा बदनियती से छलपूर्वक कार्य करते हुए ग्राम कुनकुनी के 14 आदिवासियों से उनके 30 खसरों की कृषि भूमि का छलपूर्वक कार्य करते हुए विक्रय पत्रों कर निष्पादन करते हुए बेनामी क्रय–विक्रय किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर थाना खरसिया के अप.क्र. 168/17 धारा 420, 467, 471, 120–बी भादवि सहपठित धारा 3(2), 53, 54 बेनामी संपति व्यवहार प्रतिषेध अधिनियम पंजीबद्ध किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, खरसिया के पर्यवेक्षण में गठित विवेचना टीम के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान में प्राप्त होने वाले तथ्यों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

ग. **मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर से रेलवे साइडिंग हेतु अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के अधिग्रहण/क्रय विक्रय के संबंध में चर्चा–**

आयोग ने मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर से रेलवे साइडिंग हेतु अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के अधिग्रहण/क्रय विक्रय के संबंध में जानकारी चाही। उन्होंने अवगत कराया कि रेलवे साइडिंग के लिए सीएसआईडीसी के माध्यम से ग्राम कुनकुनी में 116 एकड़ जमीन ली गई थी। इसके अलावा कोल वाशरी हेतु भी रेलवे ने रेल कनेक्टिविटी दी है। उन्होंने बताया कि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार निजी कम्पनी डीपीआर बनाकर देती है और रेलवे उक्त साइट पर रेल लाइन बनाकर देती है। आयोग द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने अवगत कराया कि रेल विभाग इसके लिए राज्य सरकार अथवा सीएसआईडीसी को यह लिख कर नहीं देता है कि उक्त निजी परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण जन हित में होगा। आयोग ने विचार व्यक्त किया कि निजी कम्पनी के व्यावसायिक कार्य हेतु अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण जनहित में कैसे हो सकता है। साथ ही सीएसआईडीसी को भी यह परखना चाहिए था कि इस प्रकार भूमि का अधिग्रहण क्या वास्तव में जनहित में है? उक्त कम्पनियों के गठन के उद्देश्य, हिस्सेदारों के नाम तथा शेयर तथा क्या उनमें अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति वास्तविक रूप से शामिल हैं, यह जांच की जानी चाहिए। जिले में इस प्रकार के जितने भी अधिग्रहण हुए हैं, चाहे वे सप्तऋषि कम्पनी हेतु हों या वेदांत, गैलेक्सी या अन्य किसी कम्पनी हेतु हों, जिला कलेक्टर,

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

रायगढ़ इस बारे में आयोग को विस्तार से उपरोक्त जानकारी दें। साथ ही हर सरकारी/निजी परियोजना हेतु ग्रामवार अधिग्रहीत भूमि के रकबे, भू–स्वामियों के नाम, उन्हें दी गई मुआवजा राशि, भुगतान के तरीके आदि की जानकारी दी जाए। साथ ही आदिवासी से आदिवासी, आदिवासी से गैर–आदिवासी एवं आदिवासी से निजी कम्पनी को हस्तांतरित की गई जमीन की स्थिति की जानकारी भी दी जाए। जिन मामलों में अनुसूचित जनजातियों के साथ गैर–आदिवासी व्यक्तियों ने भूमि का हेर–फेर किया है, उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई किया जाए।

बैठक की समाप्ति पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ से निम्नलिखित बिन्दुओं पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए आयोग को **तीन सप्ताह** के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया :

1. जिले में प्रत्येक परियोजना हेतु निजी तौर पर अथवा सीएसआईडीसी के माध्यम से ली गई अनुसूचित जनजातियों की भूमि के मामलों में परियोजना के उद्देश्य, रकबे, भागीदारों के नाम, भू–स्वामियों को किए गए भुगतान की ग्रामवार जानकारी आयोग को उपलब्ध करायी जाए। साथ ही यह जानकारी भी दी जाए कि कितनी भूमि अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति से अन्य वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति से किसी कम्पनी को हस्तांतरित की गई है। **(कार्रवाईःजिला कलेक्टर, रायगढ़)**

2. विभिन्न प्रकरणों में भूमि के अवैध हस्तांतरण के मामलों में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई की वर्तमान स्थिति की जानकारी आयोग को प्रस्तुत की जाए तथा जिला नजुलशाखा द्वारा परीक्षण किये बगैर भू–अर्जन की स्वीकृति किस आधार पर दी गई इसकी भी जांच कर जानकारी प्रस्तुत की जाये। **(कार्रवाईःजिला कलेक्टर, रायगढ़)**

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. सभी प्रकरणों में अनुसूचित जनजातियों से नियम विरूद्ध ली गई भूमि मूल भू–स्वामियों को वापस करने तथा छ.ग. राज्य भू–राजस्व संहिता की धारा 170 (1 एवं 2) अथवा अन्य वैधानिक प्रावधान के तहत वर्षों से दर्ज प्रकरणों को अतिशीघ्र निपटाने के संबंध में तत्परता से कार्रवाई की जाए और कृत कार्रवाई की जानकारी आयोग को भेजी जाए। **(कार्रवाईःजिला कलेक्टर, रायगढ़)**

4. जिन मामलों में जिला कलेक्टर की अनुमति से अनुसूचित जनजातियों की भूमि का हस्तांतरण किया गया है, उनमें भू–स्वामियों को वास्तव में भुगतान की गई राशि की जानकारी दी जाए। जिन मामलों में कलेक्टर से अनुमति लिए बिना भूमि का हस्तांतरण किया गया है, ऐसे नामांतरणों को रद्द कर मूल भू–स्वामियों को भूमि वापस करने की कार्रवाई की जाए। यदि भूमि किसी कम्पनी के नाम कर दी गई है तो उसे भी मूल भू–स्वामी को वापस किया जाए तथा राजस्व रिकॉर्डों में मूल भू–स्वामी का नाम वापस दर्ज किया जाए। बेनामी क्रय की गई संपत्ति की पहचान कर आयकर विभाग को सूचित करते हुए उसें मूल भू–स्वामियों को वापस करने की कार्रवाई भी की जाए। **(कार्रवाईःजिला कलेक्टर, रायगढ़)**

5. श्री जयलाल राठिया की मृत्यु के संबंध में उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जाए कि वे मृत्यु से पहले किन व्यक्तियों से मिले थे, कहां–कहां गये थे, उन्हें किन व्यक्तियों द्वारा धमकियां दी जा रही थीं तथा उनकी सुरक्षा को किन लोगों से खतरा था। पुलिस उनकी मोबाइल कॉल डिटेल एवं उनके साथ रहने वाले लोगों से पूछताछ कर इस संबंध में जानकारी जुटाए एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई करे। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी से आयोग को अवगत कराया जाए। **(कार्रवाईः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायगढ़)**

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tri
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6. जिन प्रकरणों में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के साथ छल करके उनकी जमीन अन्य वर्ग के व्यक्तियों ने हस्तांतरित करा ली है, ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सुसंगत प्रावधानों के ऐसी कार्रवाही करने और करवाने वालों पर उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी आयोग को भी दी जाए। **(कार्रवाईः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायगढ़)**

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 33 / Press Clipping/1/2017/Raipur/RU-III

"300 एकड़ कुनकुनी जमीन घोटाले के याचिकाकर्ता श्री जयलाल राठिया की अचानक मौत" के संबंध में आयोग द्वारा जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ तथा मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के साथ दिनांक 08.05.2017 को अपराह्न 03:00 बजे हुई बैठक की उपस्थिति शीट

बैठक में भाग लेने वाले--

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसूइया उईके, उपाध्यक्ष
3. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
4. श्री राघव चंद्रा, सचिव
5. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव,
6. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
7. श्री आर.के. दुबे, सहायक, निदेशक
8. श्री संजय कुमार कनौजीया, माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव

जिला कलेक्टर, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

1. श्रीमती अलार्मेलमंगई डी., कलेक्टर

पुलिस विभाग, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

1. श्री बी.एन. मीना, पुलिस अधीक्षक

रेल विभाग, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर

1. श्री बी.जी. माल्या, मंडल रेल प्रबंधक, बिलासपुर